न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 09/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
अजीतसिंह पटवारी–आकेली तहसील एवं जिला पाली।		जिला कलेक्टर (भू0अ0) पाली।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर पाली के क्रमांक भू0अ0/वि0जॉ0/सीसीए–17/2018/133 दिनांक 29.10.2018 जिसके द्वारा सीसीए 17 के तहत अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, पाली अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर पाली के द्वारा दिनांक 29.10.2018 को पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दिनांक 06.02.2019 को पेश की गई है। जिला कलेक्टर पाली ने अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर पाली से विभागीय जॉच पत्रावली, अपील पर टिप्पणी इत्यादि तलब किये गये।

3. हमने अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पटवारी आकेली के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला कलेक्टर महोदय पाली ने अपीलान्टर पर यह आरोप आरोपित किया कि ''आप श्री अजीत सिंह पटवारी हल्का आकेली तहसील पाली से न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 37/2015 जगदीश बनाम भीमवाराम के का0मु0 एवं निगरानी संख्या 38/2015 जगदीश बनाम कन्हैयालाल वगेराह में आप द्वारा पृथक–पृथक विरोधाभाषी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के आदेश की पालना की आवश्यकता नहीं होना जाहिर किया। आपका यह कृत्य न केवल अपने पदीय कर्तव्यों के विपरित है, बल्कि न्यायालय को भ्रमित करने वाला भी है जिसके लिये आप दोषी है।''

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उक्त आरोप को अस्वीकार करते हुए उक्त नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 19.2.2018 को जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत निवेदन किया कि न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 38/2015 जगदीश बनाम कन्हैयालाल वगेराह में तहसीलदार पाली के आदेशानुसार दिनांक 1.8.2017 को ग्राम आकेली में मौके पर नाप चौक करने हेतु उपस्थित हुआ तब वक्त मुकदमें के दोनों पक्षकार मेरे पास आये और कहा कि हमारा राजीनामा हो चुका है, और मुझे राजीनामा की छायाप्रति पेश की गई। तब अपीलान्ट की उस असमंजस की स्थिति में न्यायालय सम्बन्धित प्रकरणों का अनुभव नहीं होने के कारण व राजस्व लोक अदालतों में हमे आपसी सहमति से न्यायालय के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु आदेशित किया जाता रहा है, तब इसी क्रम में मेरी समझ अनुसार मेरे द्वारा दोनों पक्षकारों से राजीनामा की छायाप्रतिलिपि लेकर एक मौका फर्द बना दी गई जिसें तहसीलदार महोदय पाली को दिनांक 2.8.17 को ही सुबह वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मौका फर्द, राजीनामा की प्रति एवं दोनों पक्षकारान के कथनानुसार जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व भू0अ0 निरीक्षक को तहसीलदार पाली द्वारा यह मौखिक निर्देश दिये गये थे कि वे न्यायालय द्वारा जो जॉच रिपोर्ट चाही गई है, उस अनुसार ही माप चौक कर रिपोर्ट पेश करे। तब अपीलान्ट व भू0अ0 निरीक्षक दिनांक 2.8.17 को ही मौके पर गये और नाप चौक कर रेकार्ड व मौका अनुसार जॉच रिपोर्ट उसी दिन सांयकाल तक तहसीलदार पाली को पेश कर दी वो सूचना प्रकरण संख्या 38/2015 के सम्बन्ध में दी गई थी।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर न्यायालय के पंचायत निगरानी संख्या 37/2015 जगदीश बनाम भीमाराम के का0मु0 में दिनांक 8.9.2017 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसमें मेरे द्वारा यह बताया गया कि दोनों प्रकरणों की विवादित भूमि एक ही होने से इस मुकदमा संख्या 37/15 में भी मुकदमा संख्या 38/15 की उसी रिपोर्ट में पढा जावें। मेरे द्वारा पृथक–पृथक रिपोर्ट पेश करने में मेरी जो प्रथम रिपोर्ट दिनांक 2.8.17 को तहसीलदार पाली को दी थी, वो न्यायालय के प्रकरणों दी जाने वाली मौका स्थिति फर्द के सम्बन्ध में विधिक प्रक्रिया की अज्ञानता व अनुभवहीनता के कारण वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दी गई। तत्पश्चात उसी दिनांक को सायंकाल तक पुनः मौका व रेकार्ड अनुसार जॉच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने हेतु प्रस्तुत कर दी थी एवं दिनांक 8.9.2017 को जो रिपोर्ट मु0सं0 37/15 में दी गई थी वो मु0सं0 38/15 व 37/15 दोनों प्रकरणों में एक ही विवादित भूमि होने के सम्बन्ध में दी गई थी।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा अपीलान्ट के प्रत्युतर पर तहसीलदार पाली से टिप्पणी चाही गई जिस पर तहसीलदार पाली के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए अपनी ओर से यह अंकित किया कि पटवारी अजीतसिंह को न्यायालय के कार्य की जानकारी नहीं होने से लोक अदालत में रजामन्दी के प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा रिपोर्ट तैयार की थी। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टस में मानवीय त्रृटि हुई है। ऐसे में अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय जॉच कार्यवाही को ड्रॉप

करने की अनुशंसा की गई। उसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा आरोपित आरोप को प्रमाणित होना मान कर उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.18 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया जो अनुचित होने से निरस्त किया जावे।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के समक्ष विचाराधीन निगरानी प्रकरणों में तहसीलदार पाली के मार्फत अपीलान्ट पटवारी से वस्तुस्थिति रिपोर्ट तथा मौका व राजस्व रेकर्ड की जॉच रिपोर्ट चाही गई थी जिस पर अपीलान्ट एवं भू0अ0 निरीक्षक के द्वारा मौके पर जाकर सम्बन्धित पक्षकारान की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की थी जो कि वर्तमान वस्तुस्थिति तथा मौका व राजस्व रेकर्ड अनुसार ही तैयार की गई थी जिसमें अपीलान्ट की ओर से किसी भी तरह से बदनियती व दुर्भावना नहीं रख वास्तविक रिपोर्ट तैयार की थी। अगर तहसीलदार महोदय को उक्त रिपोर्टस् में किसी प्रकार की त्रृटि तथा मौके की स्थिति भिन्नता पाई जाती तो वह न्यायालय के समक्ष भिजवाते ही नहीं।

9. इसके अलावा न्यायालय को उक्त प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों तथा मौका फर्द से विपरित होकर अवलोकित हो रही थी तो पुनः जॉच रिपोर्ट तैयार करवा कर जानकारी तलब करते। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट से न्यायालय में विचाराधीन मुदकमा प्रकरणों में किसी प्रकार से किसी एक पक्षकार के पक्ष में न तो कोई निर्णय हुआ था और न ही निर्णय हो सकता था। ऐसे में अपीलान्ट की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में ऐसे कोई विपरित तथ्य अंकित नहीं किये गये थे जिनमें अपीलान्ट की बदनियती अथवा दुर्भावना झलकती हो। श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट पर आरोपित आरोप के अनुसार दण्डित भी नहीं किया गया है क्योंकि आरोप में ''न्यायालय में विचाराधीन निगरानी प्रकरणों में पृथक–पृथक विरोधाभासी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा न्यायालय के आदेश की पालना की आवश्यकता नही होना अंकित किया था'', जबकि तहसीलदार

कार्यालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अपीलान्ट ने यह अंकित किया गया था कि पक्षकारान की ओर से अवगत कराये जाने पर उपरोक्त विवाद पर समझौता हो गया है और हम सहमत है तथा विवादित भूमि माप चोक कराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में अपीलान्ट द्वारा दोनों फर्द पर यह तथ्य अंकित कर दिये तथा दोनों पक्षकारान के उस पर हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलान्ट ने अपनी ओर से अलग से कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये थे। इस आधार पर भी अपीलान्ट को दोषी नहीं माना जा सकता था।

10. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया जाना कि आरोपी कार्मिक की राज्य सेवा में दस वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण की जा चुकी है तो उसे न्यायालय के प्रकरणों की ज्ञानता व अनुभव होना चाहिये था, इस क्रम में यह निवेदन है कि किसी कार्मिक की राज्य सेवा में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर न्यायालय कार्यो में निपूर्णता, विधि का पूर्ण ज्ञान हो जाना, यह तथ्य सभी कार्मिकों पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि जब तक कोई कार्मिक किसी न्यायालय कार्यो से तब तक वाफिक नहीं हो जाता है जब तक की ऐसे कोई प्रकरण में कार्यवाही सम्पादित की हो। ऐसे में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को दण्डित करने का जो आधार अंकित किया गया है, वह प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों व विधि के विपरित है।

11. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दिये जाने पर उसे राजकीय सेवा में दोहरी हानि उठानी पडेगी तथा अपीलान्ट उसे पदौन्नति सम्बन्धी परिलाभों से भी वंचित हो जायेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

12. जिला कलेक्टर पाली ने अपीलान्ट की अपील पर टिप्पणी प्रेषित करते हुए यह अंकित किया गया कि अपीलान्ट को तत्कालीन जिला कलेक्टर ने न्यायालय हाजा में विचाराधीन निगरानी संख्या 37/2015 जगदीश बनाम भीवाराम वगैराह एवं निगरानी संख्या 38/2015 जगदीश बनाम कन्हैयालाल वगैराह में ग्राम पंचायत बोमादडा के द्वारा जारी पटटे के सम्बन्ध में ग्राम आकेली के ख0सं0 233 व 236 की भूमि के बारे में मौका रिपोर्ट चाही गई थी परन्तु अपीलान्ट के उक्त प्रकरण में निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पक्षकारान में राजीनामा होने एवं विवाद नहीं होने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जबकि पुनः रिपोर्ट चाही जाने पर ख0सं0 232 की भूमि की किस्म गै0मु0 आबादी, खसरा संख्या 233 की किस्म गै0मु0 रास्ता व ख0सं0 236/1 की किस्म गै0मु0 भाकर में समाहित होती है, बताया। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय को भम्रित करने का प्रयास किया गया और इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा निर्देशों की पालना नहीं करने पर न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर अपीलान्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है जिसे बहाल रखा जावें।

13. हमने अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस को सुना तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा प्रेषित कार्यालय पत्रावली, दस्तावेजों तथा अपील पर की गई टिप्पणी का अवलोकन किया। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपील में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा प्रेषित टिप्पणी पर मनन करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि जिला कलेक्टर पाली के द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में अपीलान्ट के चाही ग्राम आकेली के वादग्रस्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में दो अलग–अलग मौका रिपोर्ट अवश्य प्रस्तुत की गई है, परन्तु दोनों मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त खसरा भूमि के मौके की स्थिति की या राजस्व रेकर्ड में वर्णित भूमि की किस्म सम्बन्धी कोई विरोधाभासी तथ्य

अपीलान्ट के द्वारा न तो प्रकट किये गये है और न ही पक्षकारान के द्वारा इन मौका रिपोर्टस के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विरोध प्रकट किया गया है और न ही न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में कोई विपरित निर्णय पारित होना प्रतीत होता है। ऐसे में जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट के उक्त कृत्य को लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के तथ्यों सम्बन्धी कथनों को उचित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हम यह समझते है कि विद्वान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना उचित रहेगा।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर